

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

No. 761/ओएण्डएम/2013

दिनांक 14 नवम्बर, 2014

कार्यालय आदेश

विषय: भारत के राजपत्र तथा दिल्ली राजपत्र के बिक्री मूल्य में परिशोधन ।

सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि भारत के राजपत्र तथा दिल्ली राजपत्र की वर्तमान दरों में तत्काल प्रभाव से क्रमशः 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 से तीन वर्षों के लिए निम्ननुसार परिशोधन किया गया है :-

(रूपये में)

• भारत सरकार (साप्ताहिक)	वर्तमान दरें प्रति कापी	संशोधित दरें प्रति कापी 2014-15	संशोधित (प्रति कापी) 2015-16	संशोधित दरें (प्रति कापी) 2016-17
भाग I खण्ड 1	90/-	135/-	180/-	220/-
भाग I खण्ड 2	75/-	110/-	150/-	190/-
भाग I खण्ड 3	40/-	60/-	80/-	100/-
भाग I खण्ड 4	200/-	300/-	400/-	500/-
भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i)	175/-	260/-	350/-	430/-
भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii)	250/-	380/-	500/-	620/-
भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (iii)	100/-	150/-	200/-	250/-
भाग II खण्ड 4	60/-	90/-	120/-	150/-
भाग III खण्ड 1	225/-	340/-	450/-	560/-
भाग III खण्ड 2	125/-	190/-	250/-	310/-
भाग III खण्ड 3	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग III खण्ड 4	150/-	225/-	300/-	370/-
भाग IV	35/-	50	70/-	90/-

• भारत सरकार (असाधारण)	वर्तमान दरें प्रति कापी	संशोधित दरें प्रति कापी 2014-15	संशोधित (प्रति कापी) 2015-16	संशोधित दरें (प्रति कापी) 2016-17
भाग I खण्ड 1	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग I खण्ड 2	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग I खण्ड 3	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग I खण्ड 4	175/-	260/-	350/-	430/-
भाग II खण्ड 1	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग II खण्ड 1 (ए) हिन्दी	90/-	135/-	180/-	220/-
भाग II खण्ड 2	40/-	60/-	80/-	100/-
भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i)	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii)	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (iii)	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग II खण्ड 4	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग III खण्ड 2	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग III खण्ड 3	35/-	50/-	70/-	90/-
भाग III खण्ड 4	35/-	50/-	70/-	90/-

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) (2004 में दरें परिशोधित नहीं हुईं)

साप्ताहिक	वर्तमान दरें प्रति कापी	संशोधित दरें प्रति कापी 2014-15	संशोधित (प्रति कापी) 2015-16	संशोधित दरें (प्रति कापी) 2016-17
भाग I	8/-	20/-	30/-	40/-
भाग II खण्ड 1	8/-	20/-	30/-	40/-
भाग II खण्ड 2	8/-	20/-	30/-	40/-
भाग III	8/-	20/-	30/-	40/-
भाग IV	40/-	80/-	120/-	200/-
भाग V (2)	28/-	60/-	100/-	140/-
भाग VI	45/-	90/-	150/-	220/-

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) (2004 में दरें परिशोधित नहीं हुईं)

असाधारण	वर्तमान दरें प्रति कापी	संशोधित दरें प्रति कापी 2014-15	संशोधित (प्रति कापी) 2015-16	संशोधित दरें (प्रति कापी) 2016-17
भाग I	5/-	10/-	20/-	30/-
भाग I खण्ड 1	10/-	20/-	40/-	50/-
भाग II (2)	5/-	10/-	20/-	30/-
भाग III	10/-	20/-	40/-	50/-
भाग IV	12/-	20/-	40/-	60/-
भाग V (2)	170/-	260/-	350/-	420/-
भाग VI	7/-	20/-	30/-	40/-

2. वर्ष 2014-15 के लिए भारत के राजपत्र (साप्ताहिक एवं असाधारण) के सभी भागों की संशोधित वार्षिक चंदा की दरें तदनुसार नीचे दिए अनुसार होंगी।

भाग का नाम, खण्ड एवं उप खण्ड (साप्ताहिक एवं असाधारण)	संशोधित दरें प्रति कापी (साप्ताहिक एवं असाधारण)	वार्षिक चन्दे की संशोधित दरें (प्रति कापी x 52 अंक)
भाग I खण्ड (i)	135+50= 185	185 x 52 = 9620.00
भाग I खण्ड (ii)	110+50= 160	160 x 52 = 8320.00
भाग I खण्ड (iii)	60 + 50= 110	110 x 52 =5720.00
भाग I खण्ड (iv)	300+260= 560	560 x 52 =29120.00
भाग II खण्ड (i)	50 (केवल असाधारण)	50 x 52 =2600.00
भाग II खण्ड (i) (ए) (हिन्दी)	135 (केवल असाधारण)	135 x 52 =7020.00
भाग II खण्ड (ii)	60 (केवल असाधारण)	60 x 52 =3120.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (i)	260+50= 310	310 x 52 =16120.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (ii)	380+50= 430	430 x 52 =22360.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (iii)	150+50= 200	200 x 52 =10400.00
भाग II खण्ड (iv)	90+50= 140	140 x 52 =7280.00
भाग III खण्ड (i)	340 (केवल साप्ताहिक)	340 x 52 =17680.00
भाग III खण्ड (ii)	190 + 50 = 240	240 x 52 = 12480.00
भाग III खण्ड (iii)	50 + 50 = 100	100 x 52 =5200.00
भाग III खण्ड (iv)	225+50= 275	275 x 52 =14300.00
भाग IV	50 (केवल साप्ताहिक)	50 x 52 =2600.00

3. वर्ष 2015-16 के लिए भारत के राजपत्र (साप्ताहिक एवं असाधारण) के सभी भागों की संशोधित वार्षिक चंदा की दरें तदनुसार नीचे दिए अनुसार होंगी।

भाग का नाम, खण्ड एवं उप खण्ड (साप्ताहिक एवं असाधारण)	संशोधित दरें प्रति कापी (साप्ताहिक एवं असाधारण)	वार्षिक चंदा की संशोधित दरें (प्रति कापी x 52 अंक)
भाग I खण्ड (i)	180 + 70 = 250	250 x 52 = 13000.00
भाग I खण्ड (ii)	150 + 70 = 220	220 x 52 = 11440.00
भाग I खण्ड (iii)	80 + 70 = 150	150 x 52 = 7800.00
भाग I खण्ड (iv)	400 + 350 = 750	750 x 52 = 39000.00
भाग II खण्ड (i)	70 (केवल असाधारण)	70 x 52 = 3640.00
भाग II खण्ड (i) (ए) (हिन्दी)	180 (केवल असाधारण)	180 x 52 = 9360.00
भाग II खण्ड (ii)	80 (केवल असाधारण)	80 x 52 = 4160.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (i)	350 + 70 = 420	420 x 52 = 21840.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (ii)	500 + 70 = 570	570 x 52 = 29640.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (iii)	200 + 70 = 270	270 x 52 = 14040.00
भाग II खण्ड (iv)	120 + 70 = 190	190 x 52 = 9880.00
भाग III खण्ड (i)	450 (केवल साप्ताहिक)	450 x 52 = 23400.00
भाग III खण्ड (ii)	250 + 70 = 320	320 x 52 = 16640.00
भाग III खण्ड (iii)	70 + 70 = 140	140 x 52 = 7280.00
भाग III खण्ड (iv)	300 + 70 = 370	370 x 52 = 19240.00
भाग IV	70 (केवल साप्ताहिक)	70 x 52 = 3640.00

4. वर्ष 2016-17 के लिए भारत के राजपत्र (साप्ताहिक एवं असाधारण) के सभी भागों की संशोधित वार्षिक चंदा की दरें तदनुसार नीचे दिए अनुसार होंगी।

भाग का नाम, खण्ड एवं उप खण्ड (साप्ताहिक एवं असाधारण)	संशोधित दरें प्रति कापी (साप्ताहिक एवं असाधारण)	वार्षिक चंदा की संशोधित दरें (प्रति कापी x 52 अंक)
भाग I खण्ड (i)	220 + 90 = 310	310 x 52 = 16120.00
भाग I खण्ड (ii)	190 + 90 = 280	280 x 52 = 14560.00
भाग I खण्ड (iii)	100 + 90 = 190	190 x 52 = 9880.00
भाग I खण्ड (iv)	500 + 430 = 930	930 x 52 = 48360.00
भाग II खण्ड (i)	90 (केवल असाधारण)	90 x 52 = 4680.00
भाग II खण्ड (i) (ए) (हिन्दी)	220 (केवल असाधारण)	220 x 52 = 11440.00
भाग II खण्ड (ii)	100 (केवल असाधारण)	100 x 52 = 5200.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (i)	430 + 90 = 520	520 x 52 = 27040.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (ii)	620 + 90 = 710	710 x 52 = 36920.00
भाग II खण्ड (3) उप खण्ड (iii)	250 + 90 = 340	340 x 52 = 17680.00
भाग II खण्ड (iv)	150 + 90 = 240	240 x 52 = 12480.00
भाग III खण्ड (i)	560 (केवल साप्ताहिक)	560 x 52 = 29120.00
भाग III खण्ड (ii)	310 + 90 = 400	400 x 52 = 20800.00
भाग III खण्ड (iii)	90 + 90 = 180	180 x 52 = 9360.00
भाग III खण्ड (iv)	370 + 90 = 460	460 x 52 = 23920.00
भाग IV	90 (केवल साप्ताहिक)	90 x 52 = 4680.00

5. वर्ष 2014-15 के लिए भारत के राजपत्र (साप्ताहिक एवं असाधारण) के सभी भागों की संशोधित वार्षिक चंदा की दरें तदनुसार नीचे दिए अनुसार होंगी ।


भाग का नाम, खण्ड एवं उप खण्ड (साप्ताहिक एवं असाधारण)	संशोधित दरें प्रति कापी (साप्ताहिक एवं असाधारण)	वार्षिक चन्दे की संशोधित दरें (प्रति कापी x 52 अंक)
भाग I	$20 + 10 = 30$	$30 \times 52 = 1560$
भाग I खण्ड I	20 (केवल असाधारण)	$20 \times 52 = 1040$
भाग II खण्ड I	20 (केवल साप्ताहिक)	$20 \times 52 = 1040$
भाग II खण्ड (2)	$20 + 10 = 30$	$30 \times 52 = 1560$
भाग III	$20 + 20 = 40$	$40 \times 52 = 2080$
भाग IV	$80 + 20 = 100$	$100 \times 52 = 5200$
भाग V (2)	$60 + 260 = 320$	$320 \times 52 = 16640$
भाग VI	$90 + 20 = 110$	$110 \times 52 = 5720$

6. वर्ष 2014-15 के लिए भारत के राजपत्र (साप्ताहिक एवं असाधारण) के सभी भागों की संशोधित वार्षिक चंदा की दरें तदनुसार नीचे दिए अनुसार होंगी ।

भाग का नाम, खण्ड एवं उप खण्ड (साप्ताहिक एवं असाधारण)	संशोधित दरें प्रति कापी (साप्ताहिक एवं असाधारण)	वार्षिक चन्दे की संशोधित दरें (प्रति कापी x 52 अंक)
भाग I	$30 + 20 = 50$	$50 \times 52 = 2600$
भाग I खण्ड I	40 (केवल असाधारण)	$40 \times 52 = 2080$
भाग II खण्ड I	30 (केवल साप्ताहिक)	$30 \times 52 = 1560$
भाग II खण्ड (2)	$30 + 20 = 50$	$50 \times 52 = 2600$
भाग III	$30 + 40 = 70$	$70 \times 52 = 3640$
भाग IV	$120 + 40 = 160$	$160 \times 52 = 8320$
भाग V (2)	$100 + 350 = 450$	$450 \times 52 = 23400$
भाग VI	$150 + 30 = 180$	$180 \times 52 = 9360$

7. वर्ष 2016-17 के लिए भारत के राजपत्र (साप्ताहिक एवं असाधारण) के सभी भागों की संशोधित वार्षिक चंदा की दरें तदनुसार नीचे दिए अनुसार होंगी।

भाग का नाम, खण्ड एवं उप खण्ड (साप्ताहिक एवं असाधारण)	संशोधित दरें प्रति कापी (साप्ताहिक एवं असाधारण)	वार्षिक चन्दे की संशोधित दरें (प्रति कापी x 52 अंक)
भाग I	40 + 30 = 70	70 x 52 = 3640
भाग I उप खण्ड I	50 (केवल असाधारण)	50 x 52 = 2600
भाग II उप खण्ड I	40 (केवल साप्ताहिक)	40 x 52 = 2080
भाग II उप खण्ड (2)	40 + 30 = 70	70 x 52 = 3640
भाग III	40 + 50 = 90	90 x 52 = 4680
भाग IV	200 + 60 = 260	260 x 52 = 13520
भाग V (2)	140 + 420 = 560	560 x 52 = 29120
भाग VI	220 + 40 = 260	260 x 52 = 13520


(दिनेश चन्द्र)


सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

To

1. सं. स. एवं प्र. नि. के वै. सहा.
2. वित्तीय अधि. के वै. सहा.
3. सहा. नि. (वा.) के वै. सहा.
4. राजपत्र अनुभाग
5. इस विभाग के ई-राजपत्र अनुभाग को इस कार्यालय आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
6. सभी बिक्री पटल/बुक डिपो
7. नोटिस बोर्ड
8. गार्ड फाइल
9. विज्ञापन अनुभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:-

निदेशक (पी एस पी) शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली


सहायक नियंत्रक (प्रशासन)